प्रेस विज्ञप्ति

11.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 10.06.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जयेश विनोदकुमार तन्ना, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी सहयोगी फर्मों/कंपनियों से संबंधित 33.89 करोड़ रुपये की संपदा/संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई ऐसी संपत्तियां मुंबई और अहमदनगर के विभिन्न हिस्सों में कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, वाणिज्यिक दुकानें और बंगले के रूप में हैं।

ईडी ने मुंबई पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत जयेश विनोद कुमार तन्ना, दीप विनोद कुमार तन्ना (साई समूह की संस्थाओं के प्रमोटर) और अन्य के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, मुंबई पुलिस ने ऐसे अधिकांश मामलों में आरोपपत्र दायर किए हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि साईं ग्रुप ऑफ एंटिटीज के प्रमोटरों ने अपने प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजनाओं में फ्लैट/दुकान खरीदारों के धन को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए डायवर्ट करने के लिए विभिन्न कदाचारों का सहारा लिया, जिसके कारण परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं और इस प्रकार मुंबई के डी एन नगर, अंधेरी, कांदिवली और गोरेगांव क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं में खरीदारों, पुराने किरायेदारों (मूल सोसायटी सदस्यों) और निवेशकों को 85.75 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

इससे पहले 05.03.2025 को मामले में ईडी ने साई समूह की संस्थाओं, इसके प्रमोटरों जयेश विनोदकुमार तन्ना और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगियों से संबंधित मुंबई में 9 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का विवरण बरामद और जब्त किया गया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।